न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:– वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
03/2018	08.06.2018	27.03.2026

1. रामपति वेबा हजारी मीना निवासी बसो खुर्द तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. पंखराज दत्तक पुत्र हजारी मीना निवासी बसो खुर्द तहसील खण्डार जिला स0मा0।

अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. धनपाल पुत्र नानगा मीना निवासी बसो खुर्द तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. श्योपाल पुत्र नानगा मीना निवासी बसो खुर्द तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. पून्या पुत्र नानगा मीना निवासी बसो खुर्द तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. घनश्याम पुत्र मांगीलाल मीना निवासी बसो खुर्द तहसील खण्डार जिला स0मा0।
5. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा सवाईमाधोपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
6. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील खण्डार।

प्रार्थी/प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी मुकदमा नम्बर 46/2007 निर्णय दिनांक 04.09.2013

उपस्थिति :–

श्री नागाराम मीना अधिवक्ता अप्रार्थी /वादी की ओर से

श्री रमेश चन्द गौतमअधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- यह है कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध एकवाद वाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारा का श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद पत्र में माननीय न्यायालय ने प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 धनपाल के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।
- यह है कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.8.2013 को प्रतिवादी बीमार हो जाने के कारण वकील साहब भी उपस्थित नहीं होने के कारण श्रीमान ने प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए। वादीगण का वादपत्र दिनांक 4.09.2013 को आज्ञप्त कर दिया।
- यह है कि विवादित आराजीयात [illegible] धनपाल खातेदार काश्तकार है इसलिए खातेदार काश्तकार को सुना [illegible] सम्बत् एवं न्यायोचित होने से एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री [illegible] आवश्यक है। इससे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को सही [illegible]। वादीगण ने गलत [illegible] अंकित माननीय न्यायालय के समक्ष रखकर एकपक्षी[illegible] डिक्री प्राप्त की है। [illegible]पक्षीय प्राथमिक डिक्री काबिल मेंसूखी के है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 का शपथ पत्र संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:45:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

- अतः सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 धनपाल का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.09.2013 को मंसूख फरमाया जाकर प्रतिवादी को उक्त मुकदमें में अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/वादीगण को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा वकालता नामा पेश किया जाकर जबाव प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई। अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने पर जबाव प्रार्थना पत्र बन्द किया जाकर बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

3. बहस में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.8.2013 को प्रतिवादी बीमार हो जाने के कारण वकील साहब भी उपस्थित नहीं होने के कारण श्रीमान ने प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए। वादीगण का वादपत्र दिनांक 4.09.2013 को आज्ञप्त कर दिया।विवादित आराजीयात का प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 धनपाल खातेदार काश्तकार है इसलिए खातेदार काश्तकार को सुना जाना विधि सम्बत एवं न्यायोचित हेाने से एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री निरस्त फरमाया जाना परम आवश्यक है। इससे प्रतिवादी संख्या 1 को सही न्याय मिल सके। वादीगण ने गलत तथ्य अंकित माननीय न्यायालय के समक्ष रखकर एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की है। अतः एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री काबिल मंसूखी के है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 धनपाल का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.09.2013 को मंसूख फरमाया जाकर प्रतिवादी को उक्त मुकदमें में अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

4. बहस में वकील अप्रार्थी/वादीगण द्वारा तर्क किया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी होने केलगभग 5 वर्ष बाद पेश किया गया जो काफी देरी से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कोई भी कारण प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है और ना ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज योग्य है।

5. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है एवं विधि का ससम्मान अवलोकन किया गया है। आदेश 9 नियम 13 सीपीसी अनुसार यदि किसी ऐसे मामले में जिसमे डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त [illegible] न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है [illegible] कर दी जाए। प्रकरण संख्या 46/2007 में निर्णय दिनांक 4.9.2013 [illegible] जिसके अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रकरण में [illegible] वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं[illegible] 1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था। इसके पश्चात् निर्णय दिनांक 04.9.2013 अनुसार प्रकरण में दिनांक 06.08.2013 की तारीख पेशी पर ना तो प्रतिवादीगण ना ही वकील प्रतिवादीगण उपस्थित थें जिस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:45:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

अपने प्रार्थना पत्र में तर्क किया है कि वाद की सुनवाई की तारीख पर बीमार होने के कारण वह उपस्थित नहीं हुए। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा पूर्व में प्रस्तुत किया था। उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कोई भी कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने डिक्री पारित होने के 4 वर्ष 09 माह के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन देरी का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र मं इंगित नहीं किया है और ना ही देरी की माफी हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मुकदमा नम्बर 46/2007 में प्रार्थी द्वारा विधिवत रूप से अधिवक्ता के माध्यम से जबाव प्रस्तुत किया था इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की समुचित जानकारी थी। फिर भी एकपक्षीय आदेश निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र 4 वर्ष 9 माह बाद प्रस्तुत किया है। जिसका कोई कारण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में चुकी प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाना उचित समझती हूँ।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया ,सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.)

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:45:52 IST
Reason: SelfAttested